न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

पीठासीन अधिकारी सीता शर्मा आर.ए.एस

करण सं0 37/2017 दायरा दिनांक 01.03.2017

1. मलकीत सिह पुत्र श्री चाकरसिंह जाति रायसिख निवासी चक 48 जी.बी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. सहीराम पुत्र श्री किशनाराम जाति भाट निवासी चक 3 एल.जी.एम तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

— वादीगण —

1. दीवानसिंह } पुत्रगण ज्ञानसिंह अकवाम रायसिख निवासीयान
2. कालासिंह } 6 जी.डी.एम. तह0 सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) बहैसियत प्रतिनिधी भू—धारक।
4. श्रीमान उप पंजीयक महोदय सूरतगढ़/राजियासर

— प्रतिवादीगण —

उपस्थित :— 1. श्री सुरेन्द्र सुथार (अभिभाषक वादी)
2. श्री भागीरथ बिश्नोई (अभिभाषक प्रतिवादी 1 व 2)
3. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ (पेरोकार राज0)

वाद अर्न्तगत धारा 92'ए', 188, 207 व 209 आर.टी.ए.

निर्णय दिनांक 20 .05.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई पक्षकारो के अभिभाषक उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया संक्षेप में विचारण तथ्य पत्रावली इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा एक वाद अर्न्तगत धारा 92'ए', 188, 207, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अर्न्तगत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी नं0 1 दीवानसिंह के नाम से चक 5 जी.डी.एम तहसील सूरतगढ़ के प.नं. 20/55 किला नम्बर 11 ता 15 में 1.265 है0 भूमि व प्रतिवादी नं0 2 कालासिंह के नाम चक 5 जी.डी.एम तहसील सूरतगढ़ के पं0नं0 20/55 कि0नं0 16 ता 20 में 1.265 है0 कुल 2.530 है0 भूमि दर्ज कागजात राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वंत 2070 ता 2072 में अंकित अनुसार है जिसका लिखित इकरानामा बैय वादीगण से 600000 में कर नकद 500000 प्राप्त कर इकरारनामा दिनांक 01.08.2016 को पंजीकृत उप पंजीयक राजियासर के समक्ष पंजीबद्ध करवाया व कब्जा भी भूमि को प्रदान किया किन्तु अब उनकी नीयत में खोट आने से वे वादीगण को हकूक से वंचित कर भूमि अन्यत्र विक्रय कर रहे है व वादीगण को वाद ग्रस्त भूमि से बेदखल करने की धमकी दे रहे है। मौका पर वाद ग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा है इसलिये धारा 92 'ए' सहपठित धारा 188 आर.टी.ए. प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावें कि वे वाद ग्रस्त भूमि का हस्तान्तरण ना करे व वादीगण के कब्जा काश्त भूमि में दखलअन्दाजी ना तो स्वंय करे, ना किसी के माध्यम से करावे।

वाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी 1 व 2 की ओर से श्री भागीरथ बिश्नोई अभिभाषक उपस्थित आये व जवाब प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने वाद चलन के क्षेत्राधिकार को विवादित कर व्यवहार न्यायालय में वाद चलने योग्य बताया और इसी अनुसार वाद निरस्त करने की प्रार्थना की गई। वाद आने जवाब निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई :—

— लगातार 2 —

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.20 17:47:03 IST
Reason: SelfAttested

1. 'आया' प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 में पंजीकृत इकरारनामा दिनांक 01.08.2016 बाबत भूमि हस्तान्तरण चक 5 जी.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ के पं0नं0 20/55 कि0नं0 11 ता 15 = 1.265 है0 व किला नं0 16 ता 20 की 1.265 है0 कुल 2.530 है0 बिल एवज 600000 रूप्या में व 500000 पांच लाख नकद प्राप्त कर इकरारनामा भूमि पंजीबद्ध करवाया?

— वादीगण —

2. 'आया' वादीगण इकरारनामा के आधार पर स्थाई निषेद्याज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पाने के अधिकारी है?

— वादीगण —

3. 'आया' वाद इकरारनामा के आधार पर होने से एंव वाद व्यवहार न्यायालय मे लम्बित होने की अवस्था में राजस्व न्यायालय मे चलने योग्य नही है?

— प्रतिवादीगण —

4. 'आया' वाद ग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं है?

— प्रतिवादीगण —

5. अन्य अनुतोष?

बाद कायमी तनकीयात साक्ष्य प्राप्त किये वादी सहीराम के बयान करवाये गये जिन्होने वाद के कथनो की पुष्टी की एंव वाद ग्रस्त भूमि पर कब्जा वादीगण का होना शपथ पूर्वक स्वीकार किया प्रतिवादीगण द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये मात्र मोखिक तर्को की पुष्टी में न्याय निर्णय व कानूनी द्रष्टान्त प्रस्तुत किये गये वाद आने साक्ष्य पत्रावली में पक्षकारो के तर्क सुने गये।

योग्य अभिभाषक वादी द्वारा वाद कथनो को दोहराते हुए तर्क दिया कि मुताबिक जमाबन्दी चक 5 जी.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ सम्वंत 2070 ता 2073 खाता सं0 14 अनुसार प्रतिवादी नं0 1 व 2 के नाम इसी चक के पं0नं0 20/55 के कि0नं0 11 ता 15 की 1.265 है0 व इसी पत्थर नं0 20/55 के कि0नं0 16 ता 20 की 1.265 है0 कमाण्ड भूमि खातेदारी अंकित है। पंजीकृत इकरारनामा के विक्रय का सोदा कर इस भूमि का कब्जा मोखिक वादीगण को 01.08.2016 को दिया गया तब से भूमि वादीगण काश्त करते आ रहे है। अब बदयान्त होकर भूमि विक्रय करने व कब्जा करने की धमकी दिनांक 20.02.2017 से दे रहे है। जिसे जरीये स्थाई निषेद्याज्ञा के बनाये रखने के अधिकारी है। कानून के प्रावधानो के अनुसरण में ही उनको बेदखल किया जा सकता है जो जबरदस्ती से नही प्रतिवादीगण द्वारा वादी के गवाह से जिरह नहीं की ना ही साक्ष्य प्रस्तुत किये इसलिये वादीगण का वाद पुष्ट होने से स्वीकार करने की प्रार्थना की।

योग्य अभिभाषक प्रतिवादीगण [illegible] निवेदन किया कि वादीगण के वाद एंव तस्दीक पर हस्ताक्षर नहीं [illegible] जिरह का मौका नहीं दिया धारा 92 'ए' आर.टी.ए [illegible] प्रतिवादीगण द्वारा वाद ग्रस्त भूमि का कभी कब्जा नहीं दिया, 188 राजस्थान काश्तकारी में अनुतोष काश्तकार Tenent ही प्राप्त कर सकता है। इकरारनामा बैय में कब्जा दिया कहीं अंकित नही वास्तव में कब्जा वादीगण को कभी दिया ही नहीं गया अचंल सम्पंती में अधिकार मात्र विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाने पर होता है। इकरार

— लगातार 3 पर —

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.20 17:47:03 IST
Reason: SelfAttested

सूरतगढ़ (राज.)

नामा से विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते वाद इकरारनामा के आधार पर व्यवहार न्यायालय के क्षेत्राधिकार का इस के साथ का प्रार्थनापत्र 212 आर.टी.ए दिनांक 11.10.2023 को निरस्त हो चुका। वाद निराधार होने से निरस्त करने व दन्ड लगाये जाने की प्रार्थना की तर्को की पुष्टी के सम्पंती अन्तरण अधिनियम की धारा 54 न्याय निर्णय आर.आर.डी 2007 पेज 531, आर.आर.डी 2002 पेज 582, जैरवाद भूमि का विक्रय पत्र व इस्तगासा मलकीत सिंह की नकल पेश ही पेरोकार राज द्वारा राज्य हित को ध्यान मे रख निर्णय की प्रार्थना की।

बाद सुनने तर्क पक्षकारान पूर्ण पत्रावली का पठन व मनन करने के उपरान्त व सम्मान सहित न्याधिक द्वष्टान्तो के मनन पश्चात तनकी बार विवेचन निम्नप्रकार से है :–

तनकी नं0 1 :– 'आया' प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 में पंजीकृत इकरारनामा दिनांक 01.08.2016 बाबत भूमि हस्तान्तरण चक 5 जी.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ के पंoनं0 20/55 कि0नं0 11 ता 15 = 1.265 है0 व किला नं0 16 ता 20 की 1.265 है0 कुल 2.530 है0 बिल एवज 600000 रूप्या में व 500000 पांच लाख नकद प्राप्त कर इकरारनामा भूमि पंजीबद्ध करवाया?

– वादीगण –

इस तनकी का भार वादी पर था इस तनकी को सिद्ध करने के लिए वादी द्वारा स्वंय के शपथ पत्र की और ध्यान दिलाया है व पंजीबद्ध इकरारनामा की फोटो प्रति प्रस्तुत की है व वादी सहीराम ने इकरारनामा की पुष्टी की है। पत्रावली के अवलोकन से प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि उनके द्वारा चक 5 जी.डी.एम. के पं0नं0 20/55 के कि0नं0 11 ता 15 की 1.265 है0 व इसी पत्थर नं0 20/55 के कि0नं0 16 ता 20 का इकरारनामा बहक वादीगण 01.08.2016 को नहीं करवाया गया ना ही इस इकरारनामा की पालना वे क्यो नही करवाना चाहते प्रतिवादीगण ने स्पष्ट नही किया। इकरारनामा में अधिकारग्रहिता के हस्ताक्षर है व सहीराम के इकरारनामा की पुष्टी की है। पंजीबंद्ध उपपंजीयक इकरारनामा है जिसकी फोटोकॉपी पत्रावली मे उपलब्ध है। इकरार किया जाना जबकि प्रति फोटो कॉपी है किन्तु इससे प्रतिवादीगण इन्कार नहीं करते इसलिये इकरारनामा प्रतिवादीगण व हक वादी पूर्ण रू॰ से सिद्ध माना जाता है जो हस्तान्तरण करार तक सीमित है। इसी अनुसार तनकी नं0 1 बहक वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं0 2 :– 'आया' वादीगण इकरारनामा के आधार पर स्थाई निषेद्याज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पाने के अधिकारी है?

– वादीगण –

इस तनकी का भार वादी पर था उनके द्वारा इस प्रकार का कोई न्याय निर्णय प्रस्तुत नहीं किया जिससे सिद्ध होता हो की जुबानी कथन इकरारनामा में [illegible] हुऐ भी कब्जा इकरारनामा ग्रहिता का सोच Presune लिया जावे। मात्र शपथ पत्र के आधार पर कब्जा दिया जाना सन्देह से परे साबित नहीं होता इसलिये यह तनकी विरूद्ध वादी निर्णय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.20 17:47:03 IST
Reason: SelfAttested

– लगातार 4 पर –

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

तनकी नं0 3 :– 'आया' वाद इकरारनामा के आधार पर होने से एंव वाद व्यवहार न्यायालय मे लम्बित होने की अवस्था में राजस्व न्यायालय मे चलने योग्य नही है?

– प्रतिवादीगण –

इस तनकी का भार प्रतिवादी पर था उनके द्वारा व्यावहार न्यायालय में वाद लाम्बित होने का कथन किया गया व क्षेत्राधिकार वीहीन वाद बताकर इसकी पुष्टी में न्याय निर्णय प्रस्तुत किये इस न्यायालय का मानना है कि धारा 92 ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद राजस्व न्यायालय में विचारण किया जा सकता है किन्तु तनकी नं0 2 का निर्णय सन्देह से परे सिद्ध ना मानकर वादी के विरूद्ध निर्णय की गई। इसलिये आशिक रूप से तनकी नं0 3 प्रतिवादी के हक में निर्णय की जाती है।

तनकी नं0 4 :– 'आया' वाद ग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं है?

– प्रतिवादीगण –

इस तनकी का भार प्रतिवादी पर था उनके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुए किन्तु तनकी नं0 2 का निर्णय विरूद्ध वादी हुआ है क्योकि यह सन्देहो से सिद्ध नहीं होती इसीप्रकार यह तनकी भी सन्देह से परे सिद्ध ना होना माना जाता ह।

उपरोक्त विवेचन अनुसार यद्यपी इकरारनामा भूमि वादीगण को हुआ माना जा सकता है किन्तु पंजीकरण हस्तान्तरण पत्र पंजीबद्ध ना होने से वादीगण को बतौर हस्तान्तरिती पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं होते तनकी नं0 1 उनके हक में होते हुए भी तनकी नं0 2, 3, 4 सन्देह से परे सिद्ध ना होने पर वाद वादी निरस्त किया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना–अपना वहन करे इसी अनुसार पत्रावली निर्णय शुमार होकर डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दखिल दफतर कि जावें। निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 20.05.2024 को सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.20 17:47:03 IST
Reason: SelfAttested

(आदेश 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इश्तदाई

अज अदालत– सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास– सीता शर्मा आर.ए.एस

अनवानः–

1. मलकीत सिह पुत्र श्री चाकरसिंह जाति रायसिख निवासी चक 48 जी.बी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. सहीराम पुत्र श्री किशनाराम जाति भाट निवासी चक 3 एल.जी.एम तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

– वादीगण –

1. दीवानसिंह
2. कालासिंह } पुत्रगण ज्ञानसिंह अकवाम रायसिख निवासीयान 6 जी.डी.एम. तह0 सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) बहैसियत प्रतिनिधी भू–धारक।
4. श्रीमान उप पंजीयक महोदय सूरतगढ़/राजियासर

– प्रतिवादीगण –

उपस्थित :– 1. श्री सुरेन्द्र सुथार (अभिभाषक वादी)
2. श्री भागीरथ बिश्नोई (अभिभाषक प्रतिवादी 1 व 2)
3. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ (पेरोकार राज0)

वाद अर्न्तगत धारा 92'ए', 188, 207 व 209 आर.टी.ए. प्रस्तुत होने पर यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादी एंव प्रतिवादी पेश होने पर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी वास्ते स्थाई निषेद्याज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण चक 5 जी.डी.एम पं0नं0 20/55 कि0नं0 11 ता 15 व 16 ता 20 की कुल 2.530 है0 भूमि हेतु स्थाई निषेद्याज्ञा का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण निरस्त किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेगे।

नोज ....x......मुबलिग.............x................खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर ....x.........फसदो की पालना.........x........आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे।

बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक २० .05.2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.20 17:47:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलैक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़